

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण
आदेश

दिल्ली, 20 जुलाई, 2009

सं. फा. 10/(762)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./08/6255.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पी टी सी इंडिया लि., दूसरी मंजिल, एन बी सी सी टावर, 15, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,99,99,20,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,10,518 से 13,22,572 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 49,99,920 (रुपये उनचास लाख निन्यानवे हजार नौ सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING
REVENUE AUTHORITY
ORDERS

Delhi, the 20th July, 2009

No. F. 10/(762)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6255.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. PTC India Limited, 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of shares of Rs. 49,99,920 (Rs. Forty Nine Lac Ninety Nine thousand Nine Hundred Twenty) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,99,99,20,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 5,10,518 to 13,22,572 to be issued by the said company.

सं. फा. 10/(764)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./08/6254.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पंजाब नेशनल बैंक, 7, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड नन-कनवरटेबल सबोर्डिनेटेड अपर टियर II बोण्ड जो कि (प्रोमीजरी नोट) के रूप में है एवं जिनकी पृथक संख्या 1 से 5000 (सिरीज-IX) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

RY GOVT : JULY 23, 2009/SRAVANA 1, 1931 [PART IV

No. F. 10/(764)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6254.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab National Bank, 7, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,00,000 (Rs. Fifty Lac) only on the aggregate value of Rs. 5,00,00,00,000 for unsecured non-convertible subordinated upper tier II bonds issue Series IX in the nature of promissory note with distinctive Nos. 1 to 5,000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority,
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)